

14^S/₂₄

पत्रावली पेश हुई। ककुलाय उप

चूंकि मूलवाद में विभाजन की
प्राथमिक डिक्री जारी हो चुकी है।

जिससे अब उक्त T.I. प्रार्थना पत्र का
कोई औचित्य नहीं होने से T.I. प्रार्थना
पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली फंसल
शुमार लेकर नंबर से कम हो।

3
सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली